न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 35/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/106

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री विकास/ मांगीलाल, प्रोपराईटर माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री चन्द्रेश मेहता, अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 09–01–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 22.09.2024 को दानपुर स्थित माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार की जांच उसके प्रोपराईटर श्री विकास/ मांगीलाल की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	55392	29.900	15.900	14.000
2	भारत गैस	31991	19.400	16.100	3.300

श्री विकास द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:11:43 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह/ शम्भु मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। दिनांक 29.11.2024 को श्री संजय कुमार माहेश्वरी ने उपस्थित होकर बताया कि वह माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर के प्रापराईटर है, विकास/ मांगीलाल नाम का कोई भी व्यक्ति उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत नही है, अपनी ओर से श्री चन्द्रेश मेहता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई उपयोग नही रहा था ना ही भण्डारण किया गया है। जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है ना ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

दिनांक 09.01.2025 को श्री संजय माहेश्वरी फर्म मालिक व उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को ही अपनी ओर से बहस मानकर प्रकरण निस्तारित करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को दानपुर स्थित माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार की जांच श्री विकास जिसने तत्समय अपने आप को प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर बताया था की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री विकास द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27
Reason: SelfAttested

2C-A

एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मान सिंह/ शम्भु मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया। दिनांक 29.11.2024 को श्री संजय माहेश्वरी द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किये गए नोटिस के जवाब में स्वयं प्रोपराईटर होना व विकास नाम के किसी व्यक्ति को जानना नही बताया है। परन्तु इससे घरेलु गैस सिलेण्डरो का दुरुपयोग नही होने की बात साबित नही होती है। श्री संजय माहेश्वरी के प्रोपराईटर होने के स्थिति मे भी वह घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का दोषी है। विभागीय प्रतिनिधि ने जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का पत्र इसके समर्थन में पेश किया, तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। श्री संजय माहेश्वरी ने दिनांक 29.11.2024 को जवाब पेश कर अवगत कराया है कि वह माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर के मालिक है। कार्यवाही के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर तत्समय उपस्थित अप्रार्थी अंगुठा निशानी एवं गवाह के हस्ताक्षर है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह/ शम्भु मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया है, सपूर्दगीनामा पर श्री मानसिंह के हस्ताक्षर है। इस प्रकार व्यवसायिक फर्म माहेश्वरी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर जिला बांसवाडा पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested